

10/5/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

20/6/19

यह वाद वादी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दावा दर्ज किया गया है। तलबी उलवादी बागों की परिसरों को हाथ की जाकर पत्रावली दिनांक 8/7/19 को पेश की

8/7/19 पत्रावली पेश हुई। रकील वादी उपर

पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/उलवादी

13/7/19

13/7/19

पत्रावली कोण शपथीय लेख के अन्तर्गत में पेश हुई वादी माधो लाल व उनके रकील उपरिपत्ता उलवादी संप्र. हनुमान. 3 लक्ष्मी (लक्ष्मीनारायण); 4 रामजी लाल 5. शिवदयाल स्वयं उपरिपत्ता इन्होंने शपथीय का प्रवाद पेश किया जिसमें कथित किया। वादग्रस्त भूमि में विरासत का जामान्तकरण खुलाते समय वादी का नाम गहादेव पुत्र मूलचन्द सणाल रिकार्ड में दर्ज हो गया। परन्तु वादी का वास्तविक नाम माधो लाल पुत्र मूलचन्द है जिसको द्वारा किया गया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रवाद कोण शपथीय पेश किया जो शपथीय पत्रावली से वादी के उलवादी वाद को

लक्ष्मीनारायण

राम जी लाल

शिव दयाल

हनुमान

माधो लाल

Signature (शपथीय अधिकारी)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>में केंद्रित किया कि वादग्रस्त भूक संख्या 43, 660, 608, 839 व 42 वाले ग्राम खजुरानीजी तहसील जमवारामगढ़ (प्रमपुर) में उक्त भूमियों का विरासत का नामांतरण खेती सभ्य वादी का नाम गहोड़ा पुत्र मूलचंद बनाने की कर रिफा समस्त इतरादालों में वादी का नाम माधोलाल पुत्र मूलचंद के नाम से ही हो सके: गहोड़ा पुत्र मूलचंद को हजफ का उनके रूपान पर माधोलाल पुत्र मूलचंद किया जाना हेतु निर्देश किया है</p> <p>आप पक्षों की सहज सुनने व आप पक्षों की तहकी के आधार पर वादी के वादको स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खजुरानीजी तहसील जमवारामगढ़ (प्रमपुर) के संख्या 43, 660, 608, 839, 42 में वादी का नाम गहोड़ा पुत्र मूलचंद को हजफ किया जाना उनके प्राप्ति माधोलाल पुत्र मूलचंद द्वारा करने के गहोड़ा तहसील जमवारामगढ़ को रिफ जाना है तदनुसार शाखाक रिकॉर्ड में काल करे</p> <p>निर्णय की जाते तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु मेरी जाके पत्रपत्नी फेराल भुमार होकर गहोड़ा के काल हो वाड प्रति साक्ष्य उपर हो</p>

उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ़

